यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जी.के.बत्रा पर्यवेक्षक, श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.03.2019 से 14.03.2019 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री जी.के.बत्रा पर्यवेक्षक एवं श्री मोहम्मद सलीम खान, व.ले.प द्वारा दिनांक 19.03.2018 से 31.03.2018 तक श्री के.एल.भट्ट, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 12/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर पर्यटन।
3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	662.10
2016-17	729.78
2017-18	733.39

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		स्थापना
2015-16	-	-	854.68	854.68	854.68	854.68	-	-
2016-17	-	-	958.83	958.83	958.83	958.83	-	-
2017-18	-	-	1058.64	1058.64	914.27	914.27	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16	Project Tiger	0.00	209.06	209.06	0.00
	Intergrated Development of Wildlife habitat	0.00	2.85	2.85	0.00
2016-17	Project Tiger	0.00	524.93	524.93	0.00
	Project Elephant	0.00	6.50	6.50	0.00
2017-18	Project Tiger	0.00	877.78	877.78	0.00
	Project Elephant	0.00	6.00	6.00	0.00
	Internsification of forest managment	0.00	4.99	4.99	0.00

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित प्रस्तर

भाग-2 (अ)

प्रस्तर:01 परिस्थितिकी पर्यटन से प्राप्त राजस्व ₹ 47.58 करोड़ को नियमानुसार व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशन को उपलब्ध न करवाकर राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया जाना।

भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 (X) में प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए एक व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसका मुख्य कार्य टाइगर रिजर्व का परिस्थितिकीय-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास करना, स्थानीय सहयोग से परिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना एवं टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित रखने में सहायता प्रदान करना तथा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु परिसंपत्तियों का सृजन करना एवं उनको बनाए रखना इत्यादि हैं। अधिनियम के उक्त प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए 2007 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 अधिसूचित की गईं जिनमेंTiger Conservation Foundation, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होता है, के निधीयन के विषय में नियमावली के नियम संख्या 11 के अंतर्गत निर्देश दिया गया कि टूरिस्टएंट्री फीस एवं Tiger Reserve में यात्रियों को प्रदत्त सेवाओं के बदले में प्राप्त समस्त आय (100%) फ़ाउंडेशन की निधि के रूप में जमा की जाएगी।

निदेशक,कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉर्बेट टाइगर कंजर्वेशन फ़ाउंडेशन की नियमावलीमें पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाने से प्राप्त आय तथा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दी जाने वाली सेवाओं से प्राप्त आय का केवल 20 प्रतिशत भाग ही फ़ाउंडेशन के कोष में जमा किए जाने का प्रावधानविभाग द्वारा किया गया जो कि National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 के नियम 11 A. (a) के प्रावधानों के विपरीत था एवं इसके कारण फ़ाउंडेशन को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आय के स्रोत के 80 प्रतिशत (100 % -20 %) भाग की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस कारण से फ़ाउंडेशन को वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक देय रुपए 47.58 करोड़ की राशि फ़ाउंडेशन को न देकर विभाग के राजस्व लेखाशीर्ष में जमा कर दी गयी थी। इससे फ़ाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले बाघ संरक्षण कार्यों के विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रत्येक वर्ष 1550 हेक्टेयर क्षेत्र में habitatimprovement (लेंटाना उन्मूलन) के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः मात्र 155 हेक्टेयर एवं 68 हेक्टेयर क्षेत्र में

उक्त कार्य संपादित किया जा सका था। इसी प्रकार,रिजर्व क्षेत्र की 6 रेंज में से मात्र 2 रेंजों में ही सामुदायिक सहयोग हेतु इकोडेव्लपमेंट कमेटी की स्थापना की जा सकी है। चूंकि फ़ाउंडेशन के लेखा को निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान है अतः उक्त प्रभावों का विस्तृत आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

इस विषय में इंगित किए जाने पर निदेशक,कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने स्वीकार किया कि समुचित धनराशि के अभाव में फ़ाउंडेशन के मुख्य कार्य अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने पर विपरीत प्रभाव पद रहा है।

अतः, प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-161 वर्ष 2018-19

व्यय से संबन्धित

भाग-दो ब

प्रस्तर-01 वाहन भत्ता की वसूली न किया जाने के कारण अधिक भुगतान ₹ 2.23 लाख ।

उतराखंड शासन के शासनादेश वित्त (व,आ-सा नि) अनु-7 संख्या 745/**xxvii** (7) 27(20)/2013 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2013 के अनुसार फील्ड कर्मचारियो को अनुमन्य स्थाई मासिक भत्ते के स्थान पर वाहन भत्ता र 1200 प्रतिमाह अक्टूबर,**2013** से अनुमन्य किया गया था । कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार यह पाया गया कि विभाग के वन क्षेत्राधिकारियों (संलग्नक) को (जो कि फील्ड के कर्मचारी है)वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। अतः वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की दशा में वन क्षेत्राधिकारियों (संलग्नक) को वाहन भत्ता अदा नहीं किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा वाहन के साथ साथ वाहन भत्ता अदा करने के कारण वर्तमान तक (संलग्नक केअनुसार) ₹ 223200 का अधिक भुगतान किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वाहन भत्ता के वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं माह अक्टूबर 2013 से अधतन अवधि तक की वसूली हेतु धनराशि की गणना वेतन बिल से ढूंढ कर वसूली की जाएगी।

अतः विभाग द्वारा वसूली करके संप्रेक्षा में सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

(व्यय से संबन्धित)

STAN

<u>प्रस्तर02</u> : वन जमा की धनराशि ₹ 5.77 लाख का उपयोग न किया जाना।

निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर वन प्रभाग के वन जमा निक्षेप पंजिका (फार्म–23) एवं लेखा अभिलेखों (मार्च 2018) की जांच में पाया गया कि विभाग में भूमि हस्तांतरण के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण, डॉक्युमेंट्री की जमानत राशि, वन विश्राम उच्चीकारण कार्यों हेतु मद में ` 5.77 लाख प्राप्त हुए थे।उक्त धनराशि विगत तीन वर्षो से पूर्व की है तथा वर्तमान तक उक्त धनराशि को व्यय कर कार्यों को सम्पन्न नहीं कराया गया है।अतः विभाग द्वारा निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था। जिससे की उक्त धन राशि जिस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गयी थी वो प्रयोजन पूर्ण न होने कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी। अतः₹ 5.77 लाख की धनराशि जिन कार्यों के लिए प्राप्त हुई थी उनको संपादित कराये बिना वन निक्षेप के रूप में अवशेष पड़ी हुई है

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वर्तमान में उक्त धनराशि वैध नहीं है जिसे पुनः वैध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

STAN

राजस्व से संबन्धित प्रस्तर

प्रस्तर:02 अपराधों के प्रशमन की राशि ₹ 0.46 लाख वसूल न किया जाना।

वन विभाग वन अपराध- यथा अवैध पातन,वन्य प्राणियों का शिकार, अवैध प्रवेश इत्यादि, करने वाले व्यक्तियों से प्रतिकर की राशि वसूल करके उसे राजस्व के रूप में लेखा शीर्ष 0406 में जमा करता है। तदुपरांत उक्त वन अपराधों का शमन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दो वन अपराधों (केस नंबर 41/टीपी/12 कालागढ़, 73/टीपी/12 कालागढ़), 2016-17 के एक वन अपराध (केस नंबर 25/टीपी/05 ढेला) एवं 2017-18 के एक वन अपराध (केस नंबर 07/टीपी/04 कालागढ़) का प्रशमन अद्यतन तक नहीं किया जा सका था जिससे कि प्रतीकर के रूप में वसूल की जाने वाली ₹ 45,915 की राशि अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी थी। उक्त मामलों की जांच पूर्ण न किए जाने से प्रशमन की राशि के रूप में राजस्व लंबित था।

इस विषय में इंगित करने पर निदेशक,कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बताया कि उक्त प्रकरणों में कार्यवाही गतिमान है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो ब
(राजस्व से संबन्धित)

प्रस्तर-02 स्टाम्प ड्यूटि जमा न कराया जाना ₹17120/-

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (घ) के अनुसार वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए या वार्षिक किराया सुरक्षित करने वाली, अचल संपत्ति की लीज के लेखपत्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लीज़ के जो विलेख एक वर्ष से कम अवधि के लिए है उनका रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है, किन्तु उसके प्रतिफल की धनराशि पर स्टम्प शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय,निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के अभिलेखो की जांच में पाया गया की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के ढिकाला स्थित बड़ी कैंटीन वर्ष 2017-18 हेतु KMVN को र ₹855611/- में ठेके पर दी गयी किन्तु न ही कोई अनुबंध किया गया एव न ही 2% की दर से र ₹17120/- स्टाम्प ड्यूटि जमा कराया गया।इस संबंध में इंगित किए जाने पर भविष्य में अनुबंध करने एव स्टम्प ड्यूटि जमा करने का आश्वासन दिया है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

(राजस्व से संबन्धित)

प्रस्तर-03 सी-1 में अवशेष स्टॉक का निस्तारण न होना।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ. प्र. लखनऊ स्थायी आदेश स. प.व. नि-42/16-51 लखनऊ के आदेशानुसार सी-1/जब्ती प्रकाष्ठ समान्यतः काफी पुराना होता है और इसके शीघ्र निस्तारण की अत्यधिक आवश्यकता है कि वे जब्ती/सी-1 प्रकाष्ठ को प्राप्त होते ही अगले निलाम में रख दे।

कार्यालय निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के अभिलेखो की जांच में पाया गया की108.024 घन मीटर प्रकाष्ठ उत्तराखंड बनने से पूर्व सी-1 प्रकाष्ठ में अवशेष चला आ रहा है, जिसका निस्तारण लेखा परीक्षा दिनांक तक नहीं हुआ था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

STAN
भाग – दो ब

प्रस्तर-04 जमानत जमा जमा न कराया जाना ₹ 13.39 लाख/-

प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधिकारियों/ कर्मचारियों की जमानत जमा संबंधी सूचना (संलग्न सूची) के अनुसार प्रभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल ₹1339500/- की जमानत जमा अवशेष है।जो प्रभाग द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं कराई गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया की उक्त जमानत जमा की धनराशि जमा करा ली जाएगी।

अतः उक्त धनराशि ₹ 1339500 की जमानत जमा, जमा कराकर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
163/2015-16	-	01	
FR-168/2017-18	-	06	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
163/2015-16	-	01	
168/2017-18	-	01,02,03,04,05	01

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र मेहरा	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र